सं:।/335658/2025

प्रेषक,

युगल किशोर पन्त
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
संस्कृति निदेशालय,
उत्तराखण्ड देहरादून।

संस्कृति अनुभाग, देहरादून, दिनॉक :06 अक्टूबर, 2025

विषयः– प्रदेश के पारम्परिक एवं पौराणिक मेले, त्यौहारों एवं उत्सवों के आयोजन के लिए प्रदान की जाने वाली <u>आर्थिक सहायता हेतु</u> दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संस्कृति निदेशालय के पत्र संख्या–747/सं0नि0उ0/दो–10/2023–2024, दिनॉक 11 जून,2024 एवं संख्या–1032/सं0नि0उ0/दो–172/2025–2026, दिनॉक 30 जून,2025 के माध्यम से उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोंपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संस्कृति विभागान्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य द्वारा मेलों के आयोजन हेतु जिलाधिकारियों को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के संबंध में निम्नानुसार दिशा–निर्देश लागू किये जाने का एतद्द्वारा निर्णय लिया गया है :–

1. जिलाधिकारियों द्वारा जिन धार्मिक/पर्यटन तथा सांस्कृतिक मेलों के आयोजन हेतु आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने की मॉग की जायेगी, उन मेलों, त्यौहारों की ऐतिहासिक एवं पौराणिकता को दृष्टिगत रखते हुये विभाग द्वारा क्रमशः (A), (B) तथा (C) श्रेणी में इन मेलों को सूचीबद्ध किया जायेगा।
2. (A) श्रेणी को अधिकतम रू0 5.00 लाख, (B) श्रेणी को 3.00 लाख एवं (C) श्रेणी को अधिकतम रू0 1.00 लाख की आर्थिक सहायता जिलाधिकारी को प्रदान की जायेगी।
3. संस्कृति निदेशालय द्वारा मानक मद में धनराशि की उपलब्धता के आधार पर मेलों को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने हेतु श्रेणीवार निर्धारित धनराशि को कम करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
4. जिला प्रशासन की ओर से मेला आयोजन हेतु आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने की मॉग की जाती है तो इन मेलों के आयोजन हेतु मानक मद में धनराशि की उपलब्धता के आधार पर प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने पर विचार किया जा सकेगा।
5. किसी भी समिति एवं गैर सरकारी संस्था को मेला आयोजन हेतु आर्थिक सहायता की मॉग करने पर धनराशि का सीधा भुगतान नहीं किया जायेगा।
6. मेला आयोजन हेतु जिलाधिकारियों को अवमुक्त धनराशि के मूल बीजक, कार्यक्रम संबंधी फोटोग्राफस, वीडियोंग्राफी एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित समयावधि में उपलब्ध कराने का दायित्व संबंधित जिला प्रशासन का होगा।
7. अनावश्यक व्यय यथा–मंहगे पण्डाल, यात्रा व्यय, अनावश्यक प्रचार को हतोत्साहित

e No. CR-MISC/2/50/2022-VI-2-Culture and Religion Department-Part(1) (Computer No. 41003)

किया जायेगा। मुख्य व्यय कलाकारों के मानदेय एवं कार्यक्रम प्रस्तुति पर किया जायेगा।

अतः प्रदेश के पारम्परिक एवं पौराणिक मेले, त्यौहारों एवं उत्सवों के आयोजन के लिए प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता हेतु उपरोक्त दिशा–निर्देशों के अनुसार अग्रेत्तर एवं अपेक्षित आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत करायें।

भवदीय,

Digitally signed by
YUGAL KISHORE PANT
Date: 03-10-2025
16:39:52

(युगल किशोर पन्त)
सचिव

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित</u> :–

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
2. महानिदेशक,सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग,उत्तराखण्ड,देहरादून।
3. मुख्यमंत्री कार्यालय (घोषणा) अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
4. उप निदेशक, संस्कृति निदेशालय, देहरादून।
5. गार्ड फाईल।

Digitally signed by
Pradeep Kumar Joshi
Date: 03-10-2025
16:43:14

(प्रदीप जोशी)
अपर सचिव